भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4199
(19 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा पर व्यय की गई राशि

4199. श्री राजेश रंजन:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) कार्यक्रम देश के प्रत्येक पंचायत और जिले में कार्यान्वित किया जा रहा है;
(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान मनरेगा पर राज्य-वार और जिले-वार कितनी राशि व्यय की गई है;
(ग) क्या यह भी सच है कि विशेषकर बिहार सहित कई राज्यों में मनरेगा केवल कागजों पर ही मौजूद है और जमीनी स्तर पर इसका प्रभावी कार्यान्वयन नहीं किया जाता है;
(घ) यदि हाँ, तो क्या केंद्र सरकार का बिहार राज्य में इस योजना के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए एक केंद्रीय दल भेजने का विचार है; और
(ङ) यदि हाँ, तो ऐसा निरीक्षण कब तक होने की संभावना है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम , 2005 के प्रावधानों के अनुसार 741 जिलों, 7,193 ब्लॉकों और 2,69,235 ग्राम पंचायतों को शामिल करते हुए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (चंडीगढ़ और दिल्ली को छोड़कर) में कार्यान्वित की जा रही है।

(ख): महात्मा गांधी नरेगा योजना एक मांग-आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। इस योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रोटोकॉल के माध्यम से शत-प्रतिशत मजदूरी भुगतान सीधे लाभार्थियों के खातों में किया जाता है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को सामग्री और प्रशासनिक निधि जारी करती है , जो इसे आगे उसके जिलों में जारी करते हैं। केंद्र सरकार जिलों को सीधे निधियां जारी नहीं करती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत जारी निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) से (ङ): महात्मा गांधी नरेगा योजना का कार्यान्वयन अधिनियम और दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की जिम्मेदारी है। जब भी बिहार सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में योजनाओं के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार , अनियमितताओं या अन्य मुद्दों के बारे में विशिष्ट शिकायतें मंत्रालय को प्राप्त होती हैं , तो उनकी जांच संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों या केंद्रीय दलों द्वारा की जाती है। मंत्रालय विभिन्न माध्यमों जैसे मध्यावधि समीक्षा , श्रम बजट बैठकें, श्रम बजट संशोधन बैठकें और कार्यक्रम समीक्षा बैठकों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में योजना के

कार्यान्वयन के निष्पादन की नियमित समीक्षा भी करता है। राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ता , सामान्य समीक्षा मिशन और मंत्रालय के अधिकारी भी योजना के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए नियमित अंतराल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करते हैं। इसके अतिरिक्त , शिकायतों के निवारण और यह सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा और लोकपाल तंत्र स्थापित किए गए हैं कि योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) , 2005 के प्रावधानों के अनुसार कार्यान्वित की जाए।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 19.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 4199 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत जारी निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण (करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2024-25	2023-24	2022-23
1	आंध्र प्रदेश	7707.21	7353.67	8008.81
2	अरुणाचल प्रदेश	560.70	427.35	578.32
3	असम	1929.70	2221.38	2055.28
4	बिहार	6715.83	6200.03	6403.07
5	छत्तीसगढ	3354.85	2895.12	3396.94
6	गोवा	3.70	0.88	5.12
7	गुजरात	1540.54	1802.26	1692.07
8	हरियाणा	590.19	477.87	373.99
9	हिमाचल प्रदेश	1203.28	1000.96	1162.83
10	जम्मू और कश्मीर	1151.20	921.60	1050.99
11	झारखंड	2705.64	2922.27	2712.91
12	कर्नाटक	5709.90	5431.67	6232.83
13	केरल	3136.44	3532.57	3832.43
14	मध्य प्रदेश	6252.03	5891.65	5711.77
15	महाराष्ट्र	4420.32	3041.48	2552.01
16	मणिपुर	581.99	0.95	1086.63
17	मेघालय	1155.09	913.86	1118.76
18	मिजोरम	611.65	507.96	540.39
19	नागालैंड	287.85	641.50	899.76
20	ओडिशा	3763.80	4906.78	4645.73
21	पंजाब	1331.61	1169.84	1182.13
22	राजस्थान	7581.87	8683.98	9662.99
23	सिक्किम	97.57	112.19	92.71
24	तमिलनाडु	7585.49	12616.53	9743.53
25	तेलंगाना	3825.31	3520.87	2999.11
26	त्रिपुरा	1041.70	1043.59	924.60
27	उत्तर प्रदेश	9721.48	9844.25	10652.24
28	उत्तराखंड	626.43	553.81	794.72
29	पश्चिम बंगाल *	0.00	0.00	1.33
30	अंडमान और निकोबार	4.44	0.00	9.60
31	दादरा और नगर हवेली दमन और दीव	9.02	2.21	1.62
32	लक्षद्वीप	0.32	0.00	0.00
33	पुदुचेरी	40.56	58.77	24.95

34	लद्दाख	85.98	62.64	68.93
	कुल	**85333.70**	**88760.50**	**90219.10**

* केन्द्र सरकार के निर्देशों का अनुपालन न करने के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 27 के प्रावधानों के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य को निधि जारी करना रोक दिया गया है।